



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार )  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE,**  
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005  
**PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005**  
**Phone: 0512-2217957**  
**Email: rd-up@esic.nic.in**

पत्र सं. 21-A-22/17/AGT/2023-Estt.

दिनांक- 07-11-2025

**कार्यालय आदेश सं.97 वर्ष 2025**

सक्षम प्राधिकारी महोदय के आदेशानुसार वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2025 के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 21-A-22/17/AGT/2023-Estt. दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से जारी कार्यालय आदेश सं. 43 वर्ष 2025 एवं कार्यालय आदेश सं. 78 वर्ष 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती के आदेश दिए गए हैं-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम (श्री), पद एवं कर्मचारी आई.डी. संख्या	वर्तमान तैनाती स्थान	आदेशित तैनाती स्थान
1	मृदुल कुमार, सहायक (118579)	चिकित्सा प्रशासन शाखा, क्ष. का. कानपुर (कार्यालय आदेश संख्या 43 वर्ष 2025 दिनांक 20.05.2025 के अनुपालन में क.रा.बी.निगम चिकित्सालय, बरेली में स्थानांतरण के अंतर्गत)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
2	अरविंद कुमार, अवर श्रेणी लिपिक (175640)	राजस्व शाखा-III, क्ष.का.कानपुर	क.रा.बी.निगम चिकित्सालय, बरेली
3	रजनीश चौरासेया, अवर श्रेणी लिपिक (138391)	स्थापना शाखा-II, क्ष.का.कानपुर	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

- उपरोक्त आदेश के क्रम सं. (2) एवं (3) पर उल्लिखित कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय (own cost) पर किया गया है। अतः वह नियमानुसार टी.ए./डी.ए./कार्यग्रहण अवधि के पात्र नहीं होंगे।
- कार्यालय आदेश सं. 43 वर्ष 2025 दिनांक 20.05.2025 के क्रम सं. 4, 28, 35, 37, 42, 46, 55, 79, 90, 127 एवं 128 पर उल्लिखित कर्मचारियों के संबंध में कार्यालय आदेश सं. 78 वर्ष 2025 दिनांक 12.08.25 प्रभावी रहेगा।
- उपरोक्त आदेश के क्रम सं. (1) में उल्लिखित कर्मचारी एवं कार्यालय आदेश सं. 43 वर्ष 2025 दिनांक 20.05.2025 में उल्लिखित वह कर्मचारी, जो अभी तक अपने आदेशित तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, वह सभी कर्मचारी दिनांक **07.11.2025 की अपराह्न से स्वतः कार्यमुक्त (Stand Relieved) समझे जाएँगे।**

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अन्य शर्तें कार्यालय आदेश सं. 43 वर्ष 2025 दिनांक 20.05.2025 के अनुसार यथावत रहेंगी। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को यथासमय भेजी जाए।

(अनुराग कुमार)

उप निदेशक (स्थापना-I)**प्रतिलिपि-**

- संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)।
- क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- डीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पाण्डेपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. चिकित्साधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, जाजमऊ/बरेली/लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ/वाराणसी/नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डी.सी.बी.ओ. कानपुर देहात/हापुड़।
7. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीनस्थ समस्त शाखा कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
9. शाखाधिकारी, राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ की कृपया इस आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराएँ ।
10. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ की कृपया इस आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराएँ ।
11. नोडल अधिकारी, ई-ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।